

394

स्पीड पोस्ट द्वारा

फा.सं. आर-20011/1/2012-एनसी-11

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली मार्च, 2014

सेवा में,

श्री तमाची खान  
मार्फत अतीया,  
दरगाह सैय्यद,  
मोहमद दरवेश,  
3 एम डी रोड, नजदीक एम डी गोल चक्कर,  
जयपुर, राजस्थान


विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना।

श्री तमाची खान कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपने दिनांक 12.1.2014 के आवेदन जो वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को 12.3.2014 को प्राप्त हुआ था, के संबंध में स्वापक औषधि नियंत्रण ब्यूरो के दिनांक 7.3.2014 के पत्र सं.1/10/प्रशा./2014-आरटीआई-322 के साथ पठित राजस्व विभाग के दिनांक 12.3.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. एन-20013/03/2014-एनसी-1 का संदर्भ लें।

2. जहां तक स्वापक औषधि नियंत्रण (II) अनुभाग, राजस्व विभाग का सरोकार है, दिनांक 12.01.2014 के उपर्युक्त आवेदन के अंतर्गत मांगी गई सूचना निम्नानुसार है :-

- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम/जारी किए गए आदेश/ अन्य अधिसूचनाएं स्वतः स्पष्ट हैं तथा इन्हें सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया है। ऐसी अधिसूचनाओं की प्रति, देय लागत का भुगतान करते हुए प्रकाशन विभाग भारत सरकार, सिविल लाइंस, दिल्ली- 110054 से प्राप्त की जा सकती है।

3. श्री तमाची खान का उपर्युक्त आवेदन इस स्तर पर निपटाया गया समझा जा रहा है। तथापि यदि श्री तमाची खान उपर्युक्त जानकारी से सतुष्ट नहीं होते हैं तो वे 30 दिन के भीतर अपीलारी अधिकारी अर्थात् निदेशक (एनसी), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001 को अपील कर सकते हैं।

  
(एस.एन. दास)

अवर सचिव (एनसी-11)/ सीपीआईओ

प्रति प्रेषित :

1. आरटीआई सेल, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

o/c  
Issued  
18/3/14